THE APPROPRIATION BILL, 1991

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DIGVIJAY SINGH): Madam, I beg to move:

That the Bill to...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): महोदया यह जो चेन्ज श्राज के श्रार्डर पेपर में नहीं था वह हाऊस के श्रंदर चेंज सर्कूलेट किया गया हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की यह उचित कार्यवाही नहीं हैं। पहले भी ये बिल ये श्रगर इनको एजेन्डा में शामिल कर लिया जाता तो श्रच्छा होता... (व्यवधान)

उपसमापति : थह पहले से निर्णंय हुग्रा था ऐडवाइजरी कमेटी में कि जो कुछ भी लोकसभा में बिल आएंगे हमारे हाउस में वह पास होंगे । इसीलिए हाउस ऐक्सटेंड हुआ था कि हम लोगों ने ऐप्रोप्रियेशन वगैरह पास करने हैं । रात को 11 बजे मैंसेज आया भौर आप लोग 7 बजे से ही बाहर चले गए थे...

श्री जगवीशा प्रसाद माथुर : सुबह भेज दिए गए होते तो श्रच्छा होता... (व्यवधान)

उपसभापति : सुबह हंगांभें में कोई चीज रिपोर्ट ही नहीं हो रही थीं। इसलिये 12 बजे रिपोर्ट होने तक के लिए रुकना ५ड़ा । हम लोगों को छाली वापस ही भेजने से ये मनी बिल पास करने ही हैं। इस प भी निर्णय हुन्ना था कि ऐप्रोप्रियेशन पर भी भाषण नहीं होंगा । ज्ञाप चोग भान्ति रखें तो मुझे भी मौका मत दीजिए भाषण का और बिल पास करिए ।

SHRI DIGVIJAY SINGH: Madam, I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1990-91, as pased by the Lok Sabha, be taken into consideration. " *The question was put and the motion was adopted.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 & 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

SHRI DIGVIJAY SINGH: Madam, I beg to move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

I. THE JAMMU AND KASHMIR APPROPRIATION BILL, 1991 AND

H. THE JAMMU AND KASHMHt CRIMINAL LAW AMENDMENT (AMENDMENT) BDLL, 1991

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DIGVIJAY SINGH): Madam, I beg to move:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jammu & Kashmir for the services of the financil year 1990-91, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

Madam, this Bill arises out of a sum of Rs. 128. 53 crores voted by the Lok Sabha on 10th January, 1991, and Rs. 0. 19 crores charged on the Consolidated Fund of the State of Jammu and Kashmir. These amounts have been shown to cover the additional requirements in the current financial year. Full details of the provisions are available in the Supplementary Demands circulated to the Members on the 28th December, 1990.

Madam, I commend the Bill for the consideration of the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Jammu & Kashmir Criminal Law Amendment (Amending) Bill, 1991—• Shri Yashwant Sinha.

AN HON. MEMBER: You are taking them together?

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are taking these together. Actually Shri Subodh Kant Sahay should have been here. But he is held up in the Lok Sabha. That is why Mr. Yashwant Sinha is doing on his behalf.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANTSINHA): Madam, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir Criminal Law Amendment Act, 1983, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Madam, the proposed Bill seeks to replace an Ordinance promulgated by the Governor, Jammu and Kashmir, on 17-12-1990. The Ordinance was laid on the Table of the House on 7-1-1991. Public order and harmony in the State of Jammu and Kashmir has been put to severe strain by the persistent activities of some of the organisations of the State. Attempts have been made by them to incite and instigate the population in general and youth in particular to create disturbed conditions through violence, disharmony and disorder with an ultimate aim of secession from the State of the Union. The operations of these organisations with strong appeal to extra-territorial loyalities, emphasis on theocratic ideas and education imparted in schools run by some of the organisations, have caused serious disruption to public order and harmony and have been responsible to a great extent for the present difficult law and order situation in the State. The Government of Jammu and Kashmir declared 8 such

organisations as unlawful under the provisions of the Jammu and Kashmir Criminal Law Amendment Act, 1983.

The State Government also constituted a Tribunal as required under the law to decide and make an order either confirming or cancelling the declaration so made by the State Government within a period of six months from the date on which a reference was received by the Tribunal from the State Government. The statutory time available for the Tribunal would have expired on 18-12-1990. In view of the disturbed conditions in the Valley, the Tribunal could not proceed in the matter within the prescribed period. The State Government, therefore, suggested that an Ordinance may be issued by amending the relevant statutory provisions for extending the period available to the Tribunal. Since the State of Jammu and Kashmir is under President's Rule and Parliament was not in session, the Governor promulgated the and Kashmir Criminal Law Jammu Amendment Ordinance, 1990, on the 17th December, 1990, for extending the period of six months to one year to enable the Tribunal to complete its proceedings in relation to such declaration. The Tribunal is yet to take a final decision in the matter, and the present legislation is to enable them to decide on the Notification referred to them within the additional time limit of six months.

The proposed legislation is placed before the House for consideration and passing.

The questions were proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't have any names before me...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): I want to say a word, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Those names which were there have been withdrawn.

97 The Assam Appro- [11 JAN. 1931] 'priation Bill, 1991

श्री जगदीश प्रसाद माथूर]

मैं दोनों विलों का स्मर्थन करता ह, लेकिन एक वात का स्पष्टीकरण चाहंगा जो मंत्री जी ने बोलने समय कही है। उन्होंने कहा कि टिब्यनल इसलिए नहीं मिल सके क्योंकि डिस्टर्वेन्स थी। जो इस बिल का घददेख्य है उत्रतें इस शब्द का कहीं उल्तेख नहीं था, इसलिए पहले मेंने नाम नहीं दिया था । मैं पछना चाहता हं कि क्या जनको यह आइवासन है कि अब ट्रिब्यूनल बकायदा काम कर सकेगा ? अगर कर सकेगा तो क्या उसके लिए पहले कठिताई थी और क्या जब कटिताई दूर हो गई है? अन्त में में यह कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ अधिकार दिये गये हैं कि ट्रिब्युनल के सामने जो संस्थायें गैर-कानुनी कायम की जाती हैं उनको देखा जाय । मैं यह कहना चाहता हं कि गैर-कानुनी संस्थायें करने का कोई अर्थ नहीं रहता हैं यदि केन्द्रीय सरकार की झार से बार बार यह इशारा किया जाता है कि जो टररिस्टम हैं उनसे बानचीत की जाएगी में सरकार को ग्रागाह करना चाहता ह कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। एक तएक तो टररिस्टस अर्गिनाइजेशन्स को ल्लीगल करार देना ग्रांर दसरे उनके साथ बातचीत करते रहना । इस बारे में मैं प्रधान मंत्री जी का जहन चाहंगा । कुछ संस्थायों को गैर-काननी करार दिया गया. में समझता हं कि ठीक किया गया और टिब्युनल के हवाले किया गया वह भी ठीक किया गया। लेकिन उसी के साथ केन्द्र से, प्रधान मंत्री की स्रोर से, इशारा किया जाता है कि उन लोगों से बातचीत की जाएगी । ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल मकती हैं। मेरा निवेदन है कि यह बातचीत का सिलसिला जारी न किया जाय बल्कि उनके साथ सख्ती से बर्ताव किया जाना चाहिए।

प्रधान संतं (श्री चन्द्रशेखर) : उप-सभापति जी, कशमीर की समस्या के दारे में जो चर्चा हुई उसकी गम्भीरता स हम लब चिन्तित हैं। यह भी सही हैं कि काश्मीर में जो कुछ हो रहा हैं, आज उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन रास्ता एक ही है और वह रास्ता

है बातचीत का, जिसका जिक्र माथर साहब ने किया है। में जानता हं, कुछ लोगों को इस पर एतराज होता होगा, लेकिन जब ऐसे झगड़े हों, ऐसे विवाद हों तो बातचीत का ही रास्ता हमारे लिए शेष रह जाता है। यह चर्चा कल भी सदन में हई थी और आज भी हई होगी, मैं सदन में था नहीं, काण्मीर की समस्या एक अपना इतिहास रखती हैं, वारिख रखती है। उस इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता । काश्मीर के इतिहास से जडा हबा है भारत की धर्म-निरपेक्षता का इतिहास । काश्मीर जिस समय भारत में आया था एस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ग्रार मौलाना अबल कलाम आजाद के नेतृत्व को उसने स्वीकार किया था। उस दर्शन को, उस राजनीतिक दर्णन को, स्वीकार किया था जिसका नेतृत्व पंडित नेहरू उस समय भारत स कार में कर रहे थे ग्रीर इसलिए ग्रगर हम उस दर्शन को अस्वीकार करेंगे तो काश्मीर के लोगों के साथ हमने जो वायदा किया है उस वायदे के साथ वायदाखीलाफी होगा । ऐसा मैं भानता हूं । इसलिए एक सीमा हैं जिस सीमा का ध्यान हमें आवण्य रखना चाहिये।

जहां तक भारत से बाहर जाने का सबाल है, यह बात स्पष्ट हों जानी चाहिए सब को, इस देश में श्रीर इस देश के ब।हर, कि यह सवाल केवल एक मुखंड का नहीं है, यह सवाल भी हमारे राज-नैतिक दर्शन का है, हमारे राजनैतिक सिद्धांत का है, हमारी सियासी मंजिल का है। ग्रगर काश्मीर पर हम कोई सम-झौता करते की बात कभी भी सोचेंगे तो यह भारत में धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांत से समझौता करने के समान होगा। इस लिए कोई समझौता संभव नहीं है । **ग्रगर किसी को इस बारे में गल** फहमी हो तो वह गलतफहमी दर हो जानी चाहिए । बातचीत का रास्ता इसलिए हम खला रखना चाहते हैं, काश्मीर में काश्मीर के लोगों से बात करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं ।

क्योंकि वे भारत के निवासी हैं,भारत के नागरिक हैं। चहे कोई कितनी ही

श्री चंद्रशेखर] गलत बात करे, वह भारत का नागरिक है. उससे बातचीत का रास्ता हमको बंद नहीं करना चाहिए, यह हमारा मानना है। ग्रब काश्मीर के सवाल को लेकर पाकिस्तान ग्रौर हिन्दुस्तान के रिश्तों का स्वाल उठाया जाता है । तो मैं कहना चाहंगा कि इसका भी पुराना इतिहास है। गांधी जी ग्रगर जनवरी 1948 में सरे नहीं होते तो उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा श्रीर दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करूंगा क्योंकि हम दोनों एक परिवार के लोग थे, क्रहण हो गए, यह दरार नहीं बढनी चाहिए । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी नीति को ग्रपनाया । लडाइयां हुई, झगडे हए, विवाद हए, राष्ट्र संघ में सवाल उठाए गए लेकिन बातचीत का रस्ता बंद नहीं किया। जिस शिमला सम्मेलन की हम रोज बात करते हैं तो श्रींमती गांधी ने भी बातचीत के जरिए शिमला प्रस्ताव स्वीकारकराया था। वह कोई लडाई के जरिए स्वीकृत नहीं हुआ था। इसलिए बातचीत का रास्ता पाकिस्तान के साथ खुला रखना पडेगा। हमने कल भी कहा था कि पाकिस्तान से या हिन्दुस्तान से कोई तनाव होता है तो उसका असर हमारे सामाजिक जीवन और हमारी आधिक स्थिति पर भी पडता है। यह इतिहास की वास्तविकता है। इसको हम इंकार नहीं कर सकते । अगर यहां तनाव का व'तावरण कम करना है तो उसके लिए जरूरी है ि हिंदुस्तान ग्रौर पाकिस्तान के बीच तवाव की वातें कम की आयें। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे वह दूनिया का कोई भी देश हो ग्रगर वह कश्मीर ग्रीर भारत के संबंधों पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाएगा तो उससे न इस सवाल के ऊपर कोई समझौता हो सकता है न उससे इस सवाल पर कोई बातचीत हो सकती है, यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात होनो चाहिए । हमने कश्मीर में कुछ कदम उठाए हैं। यह नहीं है कि केवल मौसम के कारण हालत बदले हैं। काश्मीर में कुछ नौजवान जो अलग हो गए थे, ग्रलगाववादी ताकतों के साथ हो गए थे, वे हमारे साथ आयें हैं, पिछले कुछ दिनों में, यह एक शुभलक्षण है । द्सरा, मैंने

यह भी कहा है कि बडी माता में हथियार पकडे गए हैं। व हथियार बहुत खतरनाक किस्म के हैं। वहां पर हमारी सैक्योरिटी फोर्सेंज ने, सुरक्षा बलों ने पिछले दिनों वहां बहुत ग्रच्छा काम किया है। केवल मौसम की वजह से नहीं, सूरक्षा बलों की सतर्कता के कारण यह काम हन्ना है। मैं यह भी सुनता हूं ग्रौर सुरक्षाबलों के वारे में ग्रीर सेना के बारे में ग्रापत्तियों उठाई जानी हैं । लेकिन, उपसभापति महोदया कश्मीर में तो सेना और सुरक्षाबल के लोग 1947-48 से ग्राज तक हैं। ग्रचानक यह बात क्यों उठी है ? जब ग्रलग विवादी ताकतें उठती हैं, जब धार्मिक मथादता का सवाल उठता है तब सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ झावाज भी उठती है। इसकी तरफ भी थोडा ध्यान देना चाहिए । मैं नहीं कहता कि कही भी ग्रत्याचार नहीं हुए होंगे। इतने बडे पैमाने पर सेना के लोग हैं और इतने दिनों से हैं। जरूर कुछ घटनायें हई होंगी । लेकिन, उपसभापति महोदया, जब भी कहीं ऐसी घटनायें हुई ग्रीरखबर मिली, सरकार को या सेना के ग्रधिकारियों को तो ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्यंवाही की गई। मैं कड़मीर में रहने वाले भाई और बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहना हुं कि उनके साथ कोई दुराव ग्रभाव देश में नहीं है। उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं होगा जिससे वे झपने मन में कोई शंका पालें। लेकिन साथ ही उन्हें भी देश की धारा के साथ मिलकर, देश के विकास के लिए काम करना होगा । हम इसमें सदन के सभी वर्गों ें सहयोग चाहते हैं । हम नहीं चाहते कि ग्रपने राजनैतिक विचारों के कारण हम ऐसा माहोल बनाऐं जिससे इस सदन में भी कश्मीर के सवाल पर कोई मतभेद पैदा हो । उपसभापति जी, आपके जरिए सारे सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हं कि कश्मीर के मामले में सरकार सब का सहयोग चाहती है और अगर किसो को कोई शिकायत हो, कोई कमा हो, मैं यह नहीं कहता कि सरकार के काम करने के में कमी नहीं होगी, उसकी भी विवशतायें हैं, कठित इयां हैं , हमारी सिमार्ये हैं, । देश के अंदर हम काम कर सकते हैं, अगर हमें धापका सहयोग मिले

तो उपसभापति जी, इन सीमाओं को हम

[11 JAN. 1991] priation Bill, 1991

श्री जगवीश प्रसाद माथर : ई आधा मिनट का समय लंगा। मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूं। मैंने सम्मानप्र्वंक बोच में नहीं टोका है। प्रधान मंत्री भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के लोगों से कुछ वायदे किए हैं ऐसे एक शब्द का प्रयोग किया था। यह जन्होंने कहा हैं जैसे कि मैंने सुना हैं। मैं यह कहना चाहता हं कि वह वायदे क्या हैं?

श्री चन्द्रशेखर : वह वायदे 370 के हैं जिसको मैं नहीं कहना चाहता था।

डा० अवरार महमद (राजस्थाम) : जपसभापति महोदया, मझे ग्राधा भिनट दे दीजिए (व्यवधान)

उपसभापति : अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी (व्यवधान) आधा मिनट ग्राप वोलेंगे, ग्राधा मिनट वो बोलेंगे। (व्यवधान) पाण्डेय जी, आपने हर एक को तरफ़दारी करने की जिम्मेदारी तो नहीं ली है (व्यवधान) वहांबैठ लर के इस तरह के कमेट भी न किया करे (व्यवधान)

डा० ग्रदराय ग्रहमद : में कहना चाहता हं कि कश्मीर का जो िवाद हैं वह चीज ग्रलग हैं ग्रीर कश्मोर की जो हालत है वह एक अलग जीता है। विवाद तो बरसों पूराना है (व्यवधान)

SHRI JAGDISH DESAI (Maharashtra): There is no dispute.

डा० अवराय आहयद : आप मेरी वात तो सनिए । लेकिन आज जो हालात हैं वह बिल्कूल जलग हैं यह हाजात पहले से नहीं बने थे । यह हालात नवम्त्रर, 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार वनी थी (व्यवधान)

उपसभाषति : अब आप धैठ बाहिए त प्रधान मंत्री जी ने विस्तार से बत दिया है।

लांघ सकते हैं और ज्यादा प्रभावकारी कदम उठा सकते हैं । लेकिन दो सवाल, देश की एकता ग्रौर ग्रखंडता के सवाल श्रीर कण्मीर का भारत के साथ में रहने के सवाल पर दूनिया की किसी भी शक्ति के साथ कोई समझौता नहीं होने वाला है ग्रौर न कोई बातचीत होने वाली है । ग्रौर दसरा बातचीत का रास्ना हम ग्र**पनी** ग्रोर से नहीं बन्द करने व**ेले** हैं। ग्रगर दसरे बातचीत का रास्ता बंद करेंगे तो मेरा केवल यही निवेदन हैकि मत चलाग्रों गोली, गोली से नहीं बातचीत से इसका हल निकलेगा । सरकार को मजब र नहीं करना चाहिए कि वह भी बातचीत का रास्ता बंद कर दें। लेकिन उपसभापति जी, मैं ग्रापसे निवेदन करूं कि सारी उत्तेजनात्मक बातों के, सारी कठिनाइयों के बावजुद भी सरकार बातचीत का रास्ता खलः रखेगी । लेकिन साथ ही अपनी उस जिम्मेदारी से हम बरी नहीं हो सकते जहां लोगों को सुरक्षा देने का कवाल है जहां लोगों को आत्म-सम्मान और गौरव के साथ उस इलाके में रहने का सवाल है। वहां सं कुछ शरणार्थी ग्राए हैं। हम जानते हैं कि वे कठिनाइयों में हैं। सरकार ने मदद की है। लेकिन कितनी भी हम मदद करें उनकी कठिनाइयों पूरी तरह से दुर नहीं कर सकते । हम यह ग्राणा जरूर करते हैं कि जल्दी ऐसा वातावरण बनेगा कि लोग अपने घरों को मर्यादापूर्वन चले जाएंगे ग्रीर वहां सुरक्षा के साथ रह सकेंगे यही मुझे कहता हैं । उपसभापति महोदया, मुझे विश्वास है कि कश्मीर की हालत बदलेगी और बदलाव ही दिशा में होगा। धन्यवाद ।

श्री जगवीश प्रसाद माथुर : महोदया,..

उपसभापति : माथुर जी, अगर मैं श्रापको समय दंगी तो मुझे सभी का घ्यान रखना पडेगा। फिर चारों तरफ से मुझे जवाव देना पडेगा ।

: कण्मीर के डा० ग्रवरार ग्रहमद मसले को जिस प्रकार से मिस हैं डलिग किया, कल्फ्युजन उग्होंने पैदा किया उसके कारण इस দ্বাर के हालात बने हैं नंतम्बर, 1989 में विश्वनाथ (व्यवधान) प्रताप सिंह की सरकार बनने के बाद किया, जिस जिस तरह से मिसहैडलिग प्रकार की नीति चलाई उसके कारण यह हालात बने हैं (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I will put the motion.

The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 1990-91, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2, 3 *and the Schedule were added to the Bill.*

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Madam, I move:

"That the Bill be returned. "

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I will put the other motion.

The question is:

"That the Bill further to amend the Jammu and Kashmir Criminal Law Amendment Act, 1983, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

SHRI YASHWANT SINHA: I move:

"That the Bill be passed. "

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Prime Minister is here for the Tamil Nadu problem. But I have a Resolution on the Gulf situation about which all the Members of the House are concerned. If the House permits I will read out the Resolution for the. J House and then we can go ahead with the other business.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN (Tamil Nadu): Before taking up the Tamil Nadu problem... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not taking it up now. I will allow you.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: This is very important.

SHRI PARVATHANENI UPEND- ^ RA (Andhra Pradesh): Madam, the draft Resolution was approved by all the party leaders at a meeting with the Prime Minister yesterday. It can be passed unanimously. You please read it out.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Just one sentence.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me read it out, please.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Madam, only one sentence.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay, one sentence.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: It is not about the issue; it is about his mentioning.

103

THE DEPUTY CHAIRMAN: Whatever it is, about Tamil Nadu, we will take it up. Let me read out the Resolution for the approval of the House.

RESOLUTION CALLING FOR EFF-ORTS TO PREVENT WAR IN GULF REGION

THE DEPUTY CHAIRMAN; The crisis in West Asia is causing grave concern throughout the world. Perhaps, at no time since the Second World War has humankind been so close to the brink of global disaster. War will cause incalculable human suffering and inflict irreversible environmental damage_ War must he averted. Peaceful means must be pursued relentlessly.

- Recalling that the Government of India, along with many other countries belonging to the Non-aligned Movement as well as outside the Movemen^ have repeatedly been urging that the Gulf crisis be resolved by peaceful means through dialogue,
- Noting that the deadline of 15th January, 1991 set in the UN Security Council Resolution 678 is fast approaching,

Believing that the Non-aligned Movement has an important role to play in bringing about a dialogue among all the parties involved in the crisis.

Deply conscious of the many historic, cultural, linguistic and other ties that bind India with the nations and peoples of the Gulf region and the long tradition of warm and friendly relations with them.

This House-

I. Expresses its firm belief that war must be averted.

Minister's remarks on 106 situationt in Tamil Nadu

- II. Calls upon all sides to make further determined efforts in the coming days and weeks to prevent war and seek solution through peaceful means by dialogue under UN auspices or otherwise;
- III. Wishes the Secretary-General of the United Nations every success in his last minute effort to resolve the issue peacefully.

I hope the House approves it unanimously.

HONOURABLE MEMBERS; Yes.

RE. PRIME MINISTER'S REMARKS ON SITUATION IN TAMIL NADU—

THE DEPUTY CHAIRMAN; Now who is going to speak?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN; I am going to speak, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN; Yes, you are going to speak. You have been wanting to speak since morning.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I want to say a few words, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN; You are saying before him?

SHRI M. S GURUPADASWAMY: Yes.

THE DEPUTY CHAIRMAN; Okay, fine.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Madam Deputy Chairma[^] the leaders of the Opposition parties had a meeting with the Prime Minister. It was a very useful meeting; we had frank exchange of views on the affairs of Tamil Nadu vis-a-vis the Centre. In the meeting there was common concern of all there should that not be anv misunderstanding, misgiving or suspicion or doubt giving rise to conflict and confrontation between the Centre and the State. As we all believe, both the Centre and the State*